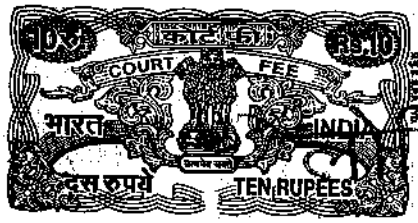

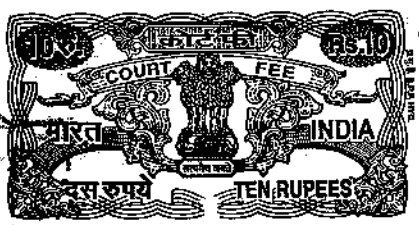

(70)

(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

R-1685-I/16

1- लछमन तनय दीनदयाल पाल आयु 45 साल
2- चंद्रभान तनय मकुन्द सिंह
3- किशोरी तनय दीनदयाल पाल
4- भोला तनय चौउदा पाल आयु 65 साल
5- जगदीश तनय वीर सिंह पाल
6- संतोष तनय दीनदयाल पाल

सभी निवासी ग्राम गुरसारी थाना गढ़ी मलहरा तह० महाराजपुर जिला छतरपुर म०प्र०

--- आवेदक/ निगरानीकर्ता

// विरूद्ध //

म०प्र०शासन --- अनावेदक

निगरानी धारा 50 म०प्र०भूराजस्व संहिता 1959

निगरानी कर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय महाराजपुर के राजस्व प्र०क्र० 96/अ-12 वर्ष 08-09 से परिवेदित होकर निम्नआधारो पर एवं तथ्यो पर निगरानी प्रस्तुत करते है ।

1- यह कि संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक क्र०-4 द्वारा अपने स्वामित्वकी भूमि स्थित ग्राम गुरसारी के खसरा नंबर 46/1 ,48/1, 23/1, 28/1, कुल किता 4 रकबा 0.160, 0.180, 0.240, 0.060 के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय महाराजपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया थी जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक महाराजपुर द्वारा मौके परसीमांकन कर अपना सू० सीमाकंन प्रतिवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय महाराजपुर को प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर श्रीमान तहसील दार महोदय महाराजपुरद्वारा दिनांक 10-12-2010 के सीमाकंन आदेश पारित किया था उक्त सीमाकंन बंदोबस्त के बाद के नवीन नक्शा के आधार पर किया गया है इस के पूर्व [illegible]

श्री मही रजनी ... द्वारा आज दि. 30/5/16 को प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R 1685-II/16 (छतरपुर

10-6-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 96/अ-12/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2010 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है एंव निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव निगरानी मेमो तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में अंकित तथ्यों के अवलोकन से आवेदकगण व्दारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होना पाया गया है क्योंकि उन्हें यह समय पर ज्ञात नहीं हो सकता कि उनके व्दारा निर्मित कुआ बंदोवस्त में तैयार किये गये नक्शे में उनके खाते में से हटाकर किसी अन्य के सर्वे नंबर में दर्शा

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1685 –एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

दिनांक तथा हस्ताक्षर

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

दिया गया है। अतएव निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आवेदकगण व्दारा निगरानी मेमो में की गई मॉग अनुसार स्थिति यह है कि आवेदकगण ने स्वयं् की ग्राम गुरसारी स्थित भूमि सर्वे नंबर 46/1, 48/1, 23/1, 28/1 का सीमांकन कराया है एंव सीमांकन दल व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को तहसीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर ने प्रकरण कमांक 96/अ–12/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.12.10 से अंतिमता प्रदान की है।

आवेदकगण के अनुसार उनके व्दारा निजी भूमि में स्वयं् व्दारा बनाया गया पुराना कुआ सवे नंबर 48/2 के दक्षिण भाग में स्थित था परन्तु बंदोवस्त के दौरान यह कुआ गलत नक्शा बन जाने से सर्वे नंबर 50 की भूमि में होना दर्शा दिया है जिसके कारण उनके व्दारा निर्मित कुआ अन्य की भूमि में स्थापित होना शासकीय अभिलेख में अंकित हो गया है जिसे वह सक्षम न्यायालय में जाकर नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही करना चाहते हैं एंव उक्तांकित भूमि के किये गये सीमांकन की अंतिमता नहीं चाहते हैं क्योंकि वह नक्शा दुरूस्ती उपरांत ही उनके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराकर भूमि चिन्हित करायेंगे। आवेदकगण की मांग पर सहजता से विचार करने पर स्थिति आवेदकगण के पक्ष में प्रतीत होती है और जब आवेदकगण निजी भूमि के कराये गये सीमांकन की स्थिरता नहीं चाहते हैं तब गलत निर्मित नक्शे के आधार पर किये गये सीमांकन

को भी निरस्त करना उचित प्रतीत होता है । आवेदकगण तद्नुसार नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही कराने एंव उनकी निजी भूमि का नक्शा सही स्थिति में बन जाने के उपरात सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण व्दारा कराई गई सीमांकन कार्यवाही एंव सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 96/अ–12/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.12.10 निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य